

1213102

पत्र संख्या- आई0टी0/डीमड कर निर्धारण -2012-13/

1401

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(आई0टी0अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / कारपोरेट)

समस्त डिप्टी कमिश्नर ( कर निर्धारण )

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

सभी अधिकारियों को अवगत कराना है कि वर्ष 2010-11 के वादों को डीमड कर निर्धारण की परिधि से बाहर करने की अवधि दिनांक 31-3-2013 को समाप्त हो रही है। डीमड कर निर्धारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या आई0टी0-NIC-कम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर (2012-13)/1213020/वाणिज्य कर दिनांक 07.06.2012 तथा विधि-4(1)-डीमड कर निर्धारण-2012-13/844/1213053/वाणिज्य कर दिनांक 05.09.2012 के माध्यम से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अन्तर्गत डीमड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। इन परिपत्रों से स्पष्ट है कि डीमड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित वादों को सेन्ट्रल ब्यास सर्वर पर चिन्हकित करने की कार्यवाही निम्नवत होगी:-

1- संगत वर्ष में जिन व्यापारियों द्वारा अपनी खरीद बिक्री के वार्षिक रिटर्न (फार्म-26) कार्यालय में दाखिल किये गये हैं उनकी सूची सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के login पर उपलब्ध होगी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सूची में ऐसे व्यापारियों, जिन्हें अधिनियम की धारा 28(1) में उल्लिखित विभिन्न कारणों से डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिया है, को चिन्हकित (tick) कर दिया जायेगा।

2- जिन व्यापारियों को डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिये जाने के कारण उन्हें उपरोक्तानुसार सर्वर पर उपलब्ध सूची में tick कर दिया गया है, उनके मामलों में तदुपरान्त उन कारणों से सम्बन्धित Boxes को भी Tick किया जायेगा जिनके कारण वह डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिये गये हैं। उक्त कारणों को Tick किये जाने से सम्बन्धित Boxes निम्नवत हैं :-

- 01 Form-26 has not been submitted in time.
- 02 Shortcoming of form-26 not removed.
- 03 One or more monthly/quarterly returns not submitted
- 04 Provisional assessment done in respect of one or more months / quarters on the basis of best judgment.
- 05 The turnover and Tax declared in form-26 is not worthy of credence
- 06 The Dealer has prevented/obstructed in survey/inspection of business premises
- 07 Dealer selected for a tax Audit.

यदि किसी व्यापारी को उपरोक्त कारणों में से एक से अधिक कारणों से डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किया गया है तो ऐसे मामलों में ऐसे समस्त बाक्स tick किए जायेंगे।

3- डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये गये व्यापारियों का उपरोक्तानुसार चिन्हकन एक बार में (In one session) अथवा अनेक बार (In several sessions) में किया जा सकता है परन्तु प्रत्येक बार सम्बन्धित पेज को Save करना आवश्यक होगा।

4- यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया जाता है कि वार्षिक रिटर्न (फार्म-26) दाखिल करने वाले किसी व्यापारी का नाम सर्वर पर प्रदर्शित सूची में नहीं आ रहा है ( रसीद others या किसी अन्य मद में कटी होने के कारण ) तो कर निर्धारण अधिकारी स्वयं सम्बन्धित रसीद को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से सम्बन्धित रसीदों की सूची में Transfer करने हेतु सक्षम होंगे ।

5- कर निर्धारण वर्ष 2010-2011 के मामलों में उक्त कार्यवाही दिनांक 15.04.2013 तक पूरी कर ली जायेगी । अतः यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोई भी व्यापारी जिसे डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, संगत वर्ष के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि तक सूची में चिन्हांकित होने से न रह जाये ।

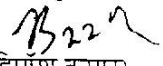
6- ऐसे मामले जो दिनांक 15.04.2013 तक सर्वर पर चिन्हांकित करने से रह गये हैं उनके संबंध में कर निर्धारण अधिकारी इन्हे सर्वर पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से चिन्हांकित करते हुए ऐसे मामलों की सूची अपने ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) को कारणों सहित उपलब्ध करायेंगे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वर पर किया गया यह चिन्हांकन अन्तिम नहीं होगा । ऐसे मामलों में ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) द्वारा अपनी login पर जाकर इसका authentication करने पर ही यह चिन्हांकन अन्तिम होगा । इसके लिए ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) अधिकारी से प्राप्त सूची का अपने स्तर से परीक्षण करेंगे एवं अपनी login पर उपलब्ध ऐसे मामलों में उपयुक्त पाये गये मामलों को tick करेंगे जिसके उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया चिन्हांकन अन्तिम हो जायेगा । ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) द्वारा authentication की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 15.05.2013 तक पूर्ण कर ली जाये ।

7- चिन्हांकन के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात डीमड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित तथा इस श्रेणी से बाहर किये गये वादों की सूची दिनांक 16.05.2013 को वेबसाइट पर प्रकाशित हो जायेगी । यह सूची Open Login पर रहेगी जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकेगा । दिनांक 15.05.2013 तक यदि अधिकारी द्वारा डीमड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित तथा इस श्रेणी से बाहर किये गये वादों का चिन्हांकन नहीं किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप होने वाली राजस्व क्षति का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व कर निर्धारण अधिकारी का होगा ।

8- वेबसाइट पर उन व्यापारियों की भी सूची प्रकाशित होगी जिनके द्वारा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किये गये हैं एवं परिणाम स्वरूप डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से स्वतः बाहर हो गये हैं ।

9- वेबसाइट पर डीमड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची में प्रकाशित होने के साथ-साथ व्यापारी को इसकी सूचना स्वतः SMS व ई-मेल के माध्यम से सर्वर से जनरेट होकर चली जायेगी । यदि व्यापारी का मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध है ।

कृपया उक्त आदेशों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन करायें ।

  
(हिमांशु कुमार)  
कमिशनर वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश

पृ०पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

- 1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ०प्र० शासन लखनऊ ।
- 2- एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र० लखनऊ ।
- 3- एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2, (आईटी०), वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

( नरसिंह )  
एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2, वाणिज्य कर  
मुख्यालय , लखनऊ